

नगर हापलाई मोदवा दि 10-1-08

न्यायालय असि० कलेक्टर (प्र०श्रे०) / उपजिलाधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर

वाद सं० 15
दि विद्याभवन एजुकेशन फाउंडेशन

बनाम

धारा 143 ज०वि०अधिनियम
गांव सभा
ग्राम रौतापुर कलां
तहसील बिल्हौर
कानपुर नगर।

176

निर्णय:-

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र श्री आलोक मिश्रा, चेयरमैन मैनेजिंग ट्रस्टी, दि विद्याभवन एजुकेशन फाउंडेशन पंजीकृत कार्यालय जी०-14 शान्तीनगर, कैंट कानपुर द्वारा धारा 143 ज०वि०अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया है कि वादी की गाटा सं० 104 रकवा 0.051 व 102क रकवा 0.062, 108क रकवा 0.051 व 87क रकवा 0.041 व 100 रकवा 0.061 व 115 रकवा 0.020 व 126 रकवा 0.010 व 105क रकवा 0.558 व 106 रकवा 0.323 व 107 रकवा 0.410 व 130 रकवा 0.020 व 122 रकवा 0.502 कुल 12 किता रकवा 2.109 हे० का पूर्ण भाग व 103 रकवा 0.727 व 121 रकवा 0.563 कुल दो किता रकवा 1.290 हे० के 5/6 भाग व 109 रकवा 0.195 व 113 रकवा 0.233 व 101 रकवा 0.164 व 99 रकवा 0.502 कुल चार किता रकवा 1.094 हे० का 1/6 भाग व गाटा सं० 114 रकवा 0.174 हे० के 1/18 भाग व गाटा सं० 51 रकवा 0.439 हे० व 52 रकवा 0.400 हे० व 98 रकवा 0.756 हे० कुल तीन किता रकवा 1.595 हे० के 1/2 भाग कुल 22 किता अशानुसार क्षेत्र० 4.174 हे० भूमि स्थित ग्राम रौतापुर कलां को जरिये बैनामा क्रय की गयी है। बैनामे के अनुसार राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम अंकित है। वादी द्वारा क्रय की गयी भूमि पर कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर वर्तमान इन्जीनियरिंग कालेज हेतु भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। अन्त में कहा है कि उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजन में लायी जाती है तथा धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की है।

संदर्भित प्रार्थनापत्र की जांच आख्या तहसीलदार बिल्हौर से प्राप्त की गयी। तहसीलदार बिल्हौर ने अपनी आख्या दिनांक 10.01.2008 में उल्लेख किया गया है कि खाता सं० 50 की गाटा सं० 104 रकवा 0.051 व 102क रकवा 0.062, 108क रकवा 0.051 व 87क रकवा 0.041 व 100 रकवा 0.061 व 115 रकवा 0.020 व 126 रकवा 0.010 व 105क रकवा 0.558 व 106 रकवा 0.323 व 107 रकवा 0.410 व 130 रकवा 0.020 व 122 रकवा 0.502 व खाता सं० 53 की गाटा सं० 103मि रकवा 0.606 व 121मि रकवा 0.469 व 109मि रकवा 0.032 व 113मि रकवा 0.039 व 101मि रकवा 0.027, गाटा सं० 99 रकवा 0.084 व खाता सं० 48की गाटा सं० 114मि रकवा 0.010 हे० तथा खाता सं० 52 गाटा सं० 51मि रकवा 0.220 हे० व 52मि रकवा 0.200 हे० कुल 21 किता क्षेत्रफल 3.796 हे० स्थित ग्राम रौतापुर कलां में मौके पर बागवानी, कृषि, कुक्कुट पालन आदि का कार्य नहीं होता है। उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजन में लायी जाती है तथा धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

पत्रावली पर उपलब्ध जांच आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बिल्हौर की जांच आख्या दिनांक 10.01.2008 से स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य, बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जाता है भूमि अकृषिक है। अतः खाता सं० 50 की

गाटा सं० 104 रकवा 0.051 व 102क रकवा 0.062, 108क रकवा 0.051 व 87क रकवा 0.041 व 100 रकवा 0.061 व 115 रकवा 0.020 व 126 रकवा 0.010 व 105क रकवा 0.558 व 106 रकवा 0.323 व 107 रकवा 0.410 व 130 रकवा 0.020 व 122 रकवा 0.502 कुल 12 किता भू राज० 102.65 रू० व खाता सं० 53 की गाटा सं० 103मि रकवा 0.606 व 121मि रकवा 0.469 व 109मि रकवा 0.032 व 113मि रकवा 0.039 व 101मि रकवा 0.027, गाटा सं० 99 रकवा 0.084 कुल छः किता भू० राज० 61.10 रू० व खाता सं० 48की गाटा सं० 114मि रकवा 0.010 हे० भू राज० 0.50 रू० तथा खाता सं० 52 गाटा सं० 51मि रकवा 0.220 हे० व 52मि रकवा 0.200 हे० भू राज० 20.40 रू० कुल 21 किता क्षेत्रफल 3.796 हे० भू राज० 184.65 रू० स्थित ग्राम रौतापुर कला अकृषिक घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम रौतापुर कला की खाता सं० 50 की गाटा सं० 104 रकवा 0.051 व 102क रकवा 0.062, 108क रकवा 0.051 व 87क रकवा 0.041 व 100 रकवा 0.061 व 115 रकवा 0.020 व 126 रकवा 0.010 व 105क रकवा 0.558 व 106 रकवा 0.323 व 107 रकवा 0.410 व 130 रकवा 0.020 व 122 रकवा 0.502 कुल 12 किता भू राज० 102.65 रू० व खाता सं० 53 की गाटा सं० 103मि रकवा 0.606 व 121मि रकवा 0.469 व 109मि रकवा 0.032 व 113मि रकवा 0.039 व 101मि रकवा 0.027, गाटा सं० 99 रकवा 0.084 कुल छः किता भू० राज० 61.10 रू० व खाता सं० 48की गाटा सं० 114मि रकवा 0.010 हे० भू राज० 0.50 रू० तथा खाता सं० 52 गाटा सं० 51मि रकवा 0.220 हे० व 52मि रकवा 0.200 हे० भू राज० 20.40 रू० कुल 21 किता क्षेत्रफल 3.796 हे० भू राज० 184.65 रू० जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत दि विद्याभवन एजुकेशन फाउंडेशन पंजीकृत कार्यालय जी-14 शान्तीनगर कैंट कानपुर नगर द्वारा चेररमैन मैनेजिंग ट्रस्टी आलोक मिश्रा पुत्र स्व० श्री विद्याधर मिश्रा निवासी जी-14 शान्तीनगर कैंट कानपुर नगर की उक्त वादग्रस्त भूमि औद्योगिक /अकृषिक घोषित की जाती है। आदेश की एक प्रति उपनिबंधक बिल्हौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। परधाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली यशविन दफ्तर-हो।

दिनांक-10.01.2008

राजस्व प्रतिनिधि
राजस्व अधिकारी
कानपुर नगर

प्रतिलिपि कता
मिलान कता

(प्रह्लाद सिंह)
असि०कले०(प्र०श्रे०)/उपजिलाधिकारी
बिल्हौर, कानपुर नगर।

उक्त निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(प्रह्लाद सिंह)
असि०कले०(प्र०श्रे०)/उपजिलाधिकारी
बिल्हौर, कानपुर नगर।

नकल प्रार्थना पत्र का क्रमांक 4652
जांचदक/प्रार्थना पत्र का दिनांक 2-4-08
नकल तैयार होकर दिनांक 25-4-08
नकल जांचदक को भेजा
राजस्व
नकल दिनांक 13-2-09

